

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
M.P.R./TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy. No. 1658
Dated 8/12/11

Commr. (Plg) - II
Despatch 1087
Date 15-12-11

178

बु.वि./376297/2011/सुझाव पत्र/दि.वि.प्रा./297

दिल्ली विकास प्राधिकरण
प्राप्ति एवं प्रेषक (मुख्य)
14 DEC 2011
जायरी R-2611

दिनांक: 12/12/2011
ऑफिस OF THE DIR (Plg.)
M.P.R./TC, D.D.A. N. DELHI-2
आग्रहकर्ता:
राकेश कुमार
डी.नो.
दिनांक:
जी-27 बुद्ध विहार, फेस-1, दिल्ली-110086.
मोबाइल: 9968241017

सेवा मे,
आदरणीय कमल नाथ जी,
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.

कुल 3 पृष्ठ

विषय:-दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुर्न-वालोकन/पुनःविचार की प्रकिया में मांगे गये सुझाव हेतु पत्र तथा पुराने पत्रों का स्मरण पत्र !

महोदय,

O.S.D. (Plg.)
Diary No. 482
Date 14-12-11

आपके कार्यालय में दिल्ली मुख्य योजना-2021 परिवर्तन हेतु बु.वि./376297/शु.वि.मेंत्रा./2011/स्मरण पत्र /66-67, दिनांक: 04-04-11, बु.वि./376297/शु.वि.मेंत्रा./2011/याचना/79-80, दिनांक: 11-04-11, बु.वि./376 दि.वि.प्रा. 297/शु.वि.मेंत्रा./2011/स्मरण पत्र /97-99, दिनांक: 09-05-11, पत्रों को प्रेषित किया था तथा निदेशक दिल्ली मुख्य योजना दि. वि. प्रा. विकास मीनार में पत्र सं./103/याचना/राकेश कुमार,जी-27 बुद्ध विहार दिनांक: 20-12-2010, बु.वि./376297/09/2011/दि.वि.प्रा.स्मरण पत्र/2011, दिनांक:19-1-10,और आयुक्त एंव सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु.वि./376297/आयुक्त दि. वि. प्रा./39/2011, दिनांक: 05-03-2011 को दिया व बु.वि./376297/आयुक्त दि.वि.प्रा./50-51/2011, दिनांक: 05-03-2011 को आयुक्त व निदेशक दिल्ली विकास प्राधिकरण को 14-03-11 को दस्ती दिया तथा बु.वि./376297/आयुक्त व उपाध्याक्ष दि.वि.प्रा./2011/56-57,दिनांक:28-03-11 को दस्ती दिया व बु.वि./376297/आयुक्त व उपाध्याक्ष दि.वि.प्रा./2011/स्मरण पत्र/89-90 दिनांक: 16-05-11 को दस्ती दिया तथा बु.वि./376297/अति. आयुक्त व निदेशक दि.वि.प्रा./2011/54-55 व 91 दिनांक: 16-05-11 को दस्ती दिया तथा उपाध्याक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु. वि./376297/2011/स्मरण पत्र/दि. वि. प्रा./42 व 120, 07-03-11 को भी दिनांक: 16-05-11 को दस्ती दिया तथा बु.वि./376297/राज्य पाल कार्या./2011/स्मरण पत्र/दि.वि. प्रा. /87,दिनांक: 5-05-11 को दिनांक: 9-05-11 दस्ती दिया गया है इन अनेक पत्रों को प्रेषित करने के पश्चात् अब तक उपरोक्त कार्यालय में से अब तक की गई कार्यावाही सटीक/यथावत् है। दिनांक: 11-12-2011 के समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुर्न-वालोकन/पुनःविचार हेतु सुझाव मांगे गये हैं, इसी संदर्भ में उपरोक्त पत्रों में दिये गये सुझावों को एकत्र करके कृपया निम्न सुझावों को जोड़ कर अवलोकन कर दिल्ली मुख्य योजना-2021 में परिवर्तन करने की असीम अनुकम्पा करें, क्योंकि नियम व कानूनों का इस प्रकार से सरकार /प्रशासन और प्रजा के सर्व वर्गों में समान व उचित समन्वय होना चाहिए जिससे सामाजिक असमान्यता उत्पन्न ना हो तथा नियम व कानूनों का निर्माण इस प्रकार का हो जिससे समाज में सरकार व प्रशासन के प्रति नेक सन्देश जाये ना कि गलत सन्देश जाये जैसा इन्ही दिनों हुआ है जिसे मिडिया ने दर्शाया भी है दर्शायी गई छवि वास्तव में तुच्छ मात्र है।

अधोहस्ताक्षरी मतानुसार MPD-2021 में होने वाले परिवर्तन पर सुझाव

1. ऐसे स्टॉक/उत्पाद को व्यव्यायिक ईकाइयों/दुकानों में रखने से व्यक्तियों के स्वास्थ्य को हानि ना हो उन सभी बेचने वाले उत्पादों को मिश्रित श्रेणी/सड़को पर करने की छूट का प्रावधान MPD-2021 में दिया जाये।

आयुक्त (प्रौद्योगिकी) II

15/12
DIR (M.P.R.)

14/12/11
DIR (M.P.R.)

PI Study
ADP/PMR
MRS Shek
19/12

2. **MPD-2021** में शहरी निवासियों की त्यौहारों व उत्सवों की आवश्यकताओं के मध्य नजर सभी त्यौहारों के अस्थायी व्यापार की सभी श्रेणियों को **MPD-2021** में को शामिल करने की कृपा करें।

(क) त्यौहारों व उत्सवों के अस्थायी व्यापारों को करने के लिए सभी क्षेत्रों में अस्थायी व्यापार स्थलों की व्यवस्था करने की कृपा करें।

3. **MPD-2021** के अध्याय संख्या 15.5, 15.6.2, 15.6.3 में शहरी निवासियों की और आवश्यकताओं के मध्य नजर नई स्थायी व अस्थायी व्यापार की श्रेणियों को शामिल करने की कृपा करें, जिससे एक क्षेत्र के निवासियों की सभी आवश्यकताएँ उसी क्षेत्र में पूरी हो।

अथवा

मिश्रित श्रेणी का व्यव्यायिक श्रेणी में विलय करने की व्यवस्था करें जिससे व्यव्यायिक असमानता खत्म हो।

अथवा

लैन्ड यूज बदलने की प्रक्रिया को आसान बना कर सभी व्यव्यायिक ईकाइयों/दुकानों को दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

अथवा

यदि फिर भी मिश्रित श्रेणी रखने की आवश्यकता हो तो मिश्रित श्रेणी की गणना करने के सूत्र 50% से 70% तक के सूत्र को 30% से 50% तक कर सभी अधिसूचित मिश्रित सडको को व्यव्यायिक श्रेणी में बदलने की व्यवस्था करें।

4. व्यव्यायिक सडको की गणना करने के सूत्र 70% अधिक तक की व्यव्यायिक ईकाइयों/दुकानों के सूत्र को 50% अधिक तक की व्यव्यायिक ईकाइयों/दुकानों के सूत्र में परिवर्तन करने की व्यवस्था करें। तथा बकाया सभी अधिकृत व अनाधिकृत बस्तियों की सडको भी समय सीमा के साथ जल्दी अधिसूचित करने की व्यवस्था व्यवस्था करें।

5. मिश्रित श्रेणी व व्यव्यायिक श्रेणी की सडको के भवनों से सिविक ऐजेन्सियों द्वारा रजिस्ट्रेशन, कनर्वजन, व पार्किंग चार्ज लेने के पश्चात् सिविक ऐजेन्सियों द्वारा फ्री पार्किंग की व्यवस्था हो।

6. सिविक ऐजेन्सियों द्वारा दिल्ली की व्यव्यायिक ईकाइयों/दुकानों से व्यव्यायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लेने के पश्चात् उस सम्पत्ति को व्यव्यायिक दर्जा/श्रेणी प्राप्त हो जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है।


7. सुझाव नम्बर-5 व 6 में केवल एक प्रकार का ही कर लिया जाये या व्यव्यायिक सम्पत्ति कर खत्म हो।

8. लाईसेन्स बनाने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली हो या सिविक ऐजेन्सियों द्वारा रजिस्ट्रेशन, कनर्वजन, व पार्किंग चार्ज लेने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन व कनर्वजन चार्ज को ही लाईसेन्स की दर्जा/श्रेणी दे दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

9. सिर्फ दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों से ही व्यव्यायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लिया जाये।

10. रिहायशी क्षेत्रों में मोबाइल व इनटर नेट टावरो को हटवाने की व्यवस्था करें।
11. शहरों में गाड़ियों कि बढ़ती तादद् से रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ती मुश्किलों से निपटने की व्यवस्था करें।
- (क) 15.5 से 16 मीटर से उपर के पुराने व नये सभी भवनों को हाई रेन्ज बिल्डिंग की श्रेणी में रखने की व्यवस्था करें जिससे सभी पुराने भवनों में भी निम्न तल में पार्किंग की व्यवस्था की जा सके यह नियम सभी पर लागू हो तथा ऐसे सभी पुराने व नये भवनों जिसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है उन्हें सम्पत्ति कर व अन्य करों में छूट का प्रावधान हो, व अन्य दूसरे बेहतर उपाय शामिल हो।
12. दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बसतियों और वह सभी बसतियाँ जिन्हें प्रोविजनल/अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बसतियों में ले आउट के बगैर व आसानी से सभी प्लॉटों के कम समय/तय समय में नक्शे पास होने की प्रक्रिया का प्रावधान हो।
- (क) दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बसतियों और वह सभी बसतियाँ जिन्हें प्रोविजनल/अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बसतियों में बने सभी भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली करके सभी भवनों को नियमित करने का प्रक्रिया/प्रावधान शुरू करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भवन नियमित करने के अवसर प्राप्त हो जिससे सरकार/सिविक ऐजेन्सियों की आय बढ़े।
13. नक्शे पास करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली होने का प्रावधान हो जिससे सभी नागरिकों के अन्दर नक्शे पास करवाने व सरकार की आय बढ़ाने की भावना जागृत हो तथा अधिक से अधिक नक्शे पास हो।
14. पास नक्शे वाले पुराने मकानों को तोड़ कर उसी पास नक्शे अनुसार बिना सरकारी खर्च के बनाने की छूट का प्रावधान हो।
15. दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुर्नवालोका/पुनःविचार के समय सीमा को पाँच साल से कम कर दो वर्ष करें।
16. अन्य वह सभी सुधार व उपायों को सम्मिलित करे जो आम नागरिकों व व्यापारियों को रिशवत खोरी से निजात् दें।

भवीदय,



राकेश कुमार

सूचना हेतु प्रेषित प्रतिया :-

1. अति. आयुक्त/निदेशक दिल्ली मुख्य योजना-2021 प्लानिंग, दि.वि.ग्रा., विकास मीनार नई दिल्ली-110002.
2. उपाध्यक्ष दि.वि.ग्रा., विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली-110023.